

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-...23.../2018-19

रजनी भगत.....अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड सरकार अंचलाधिकारी, बुण्डू.....प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
10.07.18	<p>अपीलार्थी-रजनी भगत, पति-हीरालाल भगत, निवास ग्राम-बाबुराम टोली, बुण्डू, डाकघर-बुण्डू, जिला-राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-267 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक-10/05/2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा मौजा-बुण्डू, थाना-बुण्डू, थाना सं०-0028, खाता सं०-1165, प्लॉट सं०-2505, रकबा-46 डीसमील भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <p>अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलार्थी द्वारा निबंधित विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया है, बुक नं०-01, भोलुम नं०-05, पेज नं०-01 से 74 दस्तावेज सं०-35 दिनांक-27. 01. 2018 है। क्रय के पश्चात अपीलार्थी का उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा है। उक्त जमीन का दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, बुण्डू के न्यायालय में ऑनलाईन आवेदन दिया गया। आवेदन में निबंधन की तिथि गलत दर्ज होने के कारण अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी के विक्रय पत्र में विक्रय की तिथि-27. 01. 2018 दर्ज है जो सही है। लिपिकीय भूल के कारण ऑनलाईन आवेदन में कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा निबंधन तिथि-24. 01. 2018 दर्ज किया गया जो गलत है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-267 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक-10/05/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू ने प्रतिवेदित किया है कि नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है, जिसमें निबंधन तिथि गलत है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि आवेदन में लिपिकीय भूल के कारण निबंधन तिथि के गलत दर्ज होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <p>अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि उक्त लिपिकीय भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच पड़ताल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।</p> <p>इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p>393(iii)/2018 10.07.18</p>
	<p>भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	<p>भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू(राँची)।</p>